## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर विनांक : 20 | 12 | 24

क्रमांकः प्रशि./जीएनएम/ एम-133/2024-25/ 377

## <u>—ः संक्षिप्त विज्ञप्ति ः–</u>

(जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम सत्र 2024—25 में प्रवेश हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति)

प्रशिक्षण पाठ्यकम सत्र 2024–25 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यकम हेतु राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स में प्रवेश के लिए दिनांकः 27/12/2024 (प्रातः10 बजे) से दिनांकः 10/01/2025 (मध्यरात्रि) तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता / योग्यता निम्नानुसार होनी चाहिए :--

1.	शेक्षणिक योग्यत T	अनुसार मान्यता प्राप्त बोर्ड सीनियर सकण्ड्री परीक्षा उत्तान के सान्यक्षियों को विज्ञान वर्ग (फिजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी) विषय ग्रुप के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देय होगी, यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी प्राथमिकता देय होगी, यदि उपरोक्त विज्ञान वर्ग के योग्यता वाले अभ्यर्थी किसी वर्ग / श्रेणी में उपलब्ध नहीं होंगे, तो शेष रिक्त रही सीटों हेतु अन्य विषय वर्ग से उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग / श्रेणी के अभ्यर्थियों को सम्मिलित कर मेरिट के आधार पर उत्तीर्ण उसी जाति वर्ग / श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 40 चयन किया जा सकेगा। सामान्य व अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये प्रतिशत व्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है (अंक तालिकाओं की सत्यापित प्रति, यदि पूरक परीक्षा उत्तीर्ण हो, तो दोनो परीक्षाओं (मुख्य व पूरक) की, अंक तालिकाऐ ऑनलाईन आवेदन के साथ स्केन कर अपलोड करें)।
2.	आयु (31.12.2024 को) एवं	दिनांक 31.12.2024 को न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष (पुरूषों हेतु) तथा न्यूनतम 17 वर्ष एवं अधिकतम 34 वर्ष (महिलाओं हेतु) होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी। विभागीय कोटे में प्रवेश हेतु स्थायी कार्मिक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी किन्तु स्थायी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एएनएम) की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
	आरक्षण	कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक प 7(1) कार्मिक / क-2 / 2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग को पांच प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडबल्यूएस) को दस प्रतिशत आरक्षरण विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार देय होगा (नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न किया गया हो)। अनुसूचित खण्डों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों को विस्तृत विज्ञप्ति के अनुसार आरक्षण देय होगा। प्रशिक्षण में आरक्षित वर्गों को राज्य सरकार के नियमानुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
3.	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या/संस्थाओं की संख्या (परिवर्तनीय) है। राजकीय/निजी नर्सिंग स्कूल्स की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या काउन्सलिंग से पूर्व विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

RajKaj Ref No.: 12563804

4.	महिला / पुरूष अभ्यर्थियों की सीटो की संख्या का अनुपात	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सभी राजकीय एवं निजी नर्सिंग स्कूलों में महिला व पुरूष अभ्यर्थियों के प्रवेश / चयन का अनुपात 80:20 होगा। किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से सीटे भरी जावेगी।
5.	पाठ्यकम की अवधि	3 वर्ष —जिसमें 6 माह की इन्टर्नशिप भी शामिल है। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्थाई कार्मिकों के लिए भी तीन वर्ष निर्धारित है।
6.	फीस	राजकीय प्रशिक्षण फीस :— (वार्षिक) 10,500 /— (Boys Gen OBC , Creamy layer candidates ) प्रतिवर्ष 4,200 /— (SC, ST, MBC, EWS , Non Creamy layer OBC and Female candidates ) प्रतिवर्ष निजी प्रशिक्षण स्कूल 66,000 /— रूपये । प्रतिवर्ष कांउसलिंग फीस 500 /— रूपयें (NON REFUNDABLE)
7.	चयन प्रकिया	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् विभाग द्वारा तैयार की गई राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय मेरिट के आधार पर ऑनलाईन काउंसलिंग के पश्चात् योग्य पाये गये अभ्यर्थी को उनके विकल्पानुसार प्रशिक्षण केन्द्रों में रिक्त सीटों पर वरीयतानुसार प्रशिक्षण केन्द्रों को आवंटन किया जावेगा।
8.	आवेदन शुल्क	सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को 220/— रूपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी को 110/— रूपये की फीस ई—िमत्र/सीएससी नेटवर्क से जमा कराना अनिवार्य है। उक्त शुल्क पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से भी जमा कराया जा सकता है।
9.	आवेदन पत्र	ऑनलाईन आवेदन पत्र ई-मित्र/सीएससी नेटवर्क पर एवं विभागीय वैबसाईट के माध्यम से भरे जा सकते है।
10.	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपन्न विभागीय वैबसाईट www.rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है।

(राकेश कुमार शर्मा) निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Kumar Sharma Designation Director Date:20-12-2024 03:35:00

RajKaj Ref No.: 12563804